

दिनांक 11.03.2025 को श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष वाल्मी शासी पर्वद के परामर्शी की अध्यक्षता में नहर संचालन तथा रख-रखाव हेतु लागू मानक संचालन प्रक्रिया में निहित प्रावधानों के आलोक में चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न :-

दिनांक 11.03.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में शीर्ष-2700 अन्तर्गत नहर रख-रखाव से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में निहित निदेशों के आलोक में मुख्य अभियंता परिक्षेत्रवार समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नांकित है :-

1. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान परिक्षेत्राधीन कुल 02 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 107.73 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि दोनों प्रमंडलों के द्वारा निविदा आमंत्रित कर दी गयी है एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन विभाग में समर्पित कर दिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत दोनों निविदाओं का निष्पादन कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
- संबंधित मोनिटर को योजनाओं के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

2. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा परिक्षेत्राधीन कुल 08 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 150.00 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि सभी प्रमंडलों के द्वारा निविदा आमंत्रित कर दी गयी है।
- संबंधित मोनिटर के द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियंता के द्वारा अनुशंसित कार्यों को प्रमंडलवार समेकित कर एकीकृत प्राक्कलन समर्पित नहीं कर एक ही प्रमंडल हेतु अनुशंसित कार्यों का अलग-अलग प्राक्कलन समर्पित किया गया है।
- मुख्य अभियंता को प्रमंडलवार समेकित प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश किया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

3. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा परिक्षेत्राधीन कुल 10 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 628.45 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि सभी प्रमंडलों के द्वारा निविदा आमंत्रित कर दी गयी है एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन विभाग में समर्पित कर दिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत सभी निविदाओं का निष्पादन कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

- संबंधित मोनिटर को योजनाओं के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

4. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी परिक्षेत्राधीन कुल 10 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 538.57 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि सभी प्रमंडलों के द्वारा निविदा आमंत्रित कर दी गयी है एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन विभाग में समर्पित कर दिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत सभी निविदाओं का निष्पादन कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
- संबंधित मोनिटर को योजनाओं के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

5. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर परिक्षेत्राधीन कुल 07 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 246.51 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्राधीन स्वीकृत योजनाओं हेतु निविदा दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित कर दी जायेगी। संबंधित प्रमंडलों के द्वारा अभी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- मुख्य अभियंता को सभी योजनाओं से संबंधित निविदा, दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित करने तथा योजनाओं का प्राक्कलन शीघ्रताशीघ्र विभाग में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

6. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ परिक्षेत्राधीन कुल 06 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 150.28 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्राधीन स्वीकृत योजनाओं हेतु निविदा दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित कर दी जायेगी। सभी कार्यों का प्राक्कलन विभाग में समर्पित कर दिया गया है।
- मुख्य अभियंता को सभी योजनाओं से संबंधित निविदा, दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

7. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया परिक्षेत्राधीन कुल 02 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि रु0 64.77 लाख है।

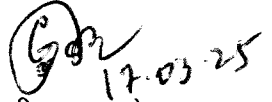
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्राधीन स्वीकृत योजनाओं हेतु निविदा दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित कर दी जायेगी।
- संबंधित मोनिटर के द्वारा बताया गया कि एक अदद कार्य का प्राक्कलन सुधार हेतु मुख्य अभियंता को लौटाया गया है।
- मुख्य अभियंता को सभी योजनाओं से संबंधित निविदा, दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित करने तथा योजना का प्राक्कलन सुधारोपरांत शीघ्रताशीघ्र विभाग में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

8. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी

- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन कुल 08 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि ₹0 718.50 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि सिंचाई अंचल, भभुआ अन्तर्गत प्रमंडलों को छोड़कर शेष प्रमंडलों द्वारा निविदा आमंत्रित कर दी गयी है।
- संबंधित मोनिटर के द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियंता के द्वारा अनुशंसित कार्यों को प्रमंडलवार समेकित कर एकीकृत प्राक्कलन समर्पित नहीं कर एक ही प्रमंडल हेतु अनुशंसित कार्यों का अलग-अलग प्राक्कलन समर्पित किया गया है।
- मुख्य अभियंता को सभी योजनाओं से संबंधित निविदा, दिनांक 12.03.2025 तक आमंत्रित करने तथा योजनाओं का समेकित प्राक्कलन शीघ्रताशीघ्र विभाग में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

9. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद

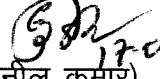
- विभागीय पत्रांक 80 दिनांक 17.01.2025 से निर्गत 'गो-अहेड' में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद परिक्षेत्राधीन कुल 07 प्रमंडलों से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि ₹0 276.86 लाख है।
- मुख्य अभियंता के द्वारा परिक्षेत्राधीन स्वीकृत योजनाओं हेतु निविदा दिनांक 18.03.2025 तक आमंत्रित किये जाने का आश्वासन दिया गया। संबंधित प्रमंडलों के द्वारा अभी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- मुख्य अभियंता को सभी योजनाओं से संबंधित निविदा, दिनांक 18.03.2025 तक आमंत्रित करने तथा योजनाओं का प्राक्कलन शीघ्रताशीघ्र विभाग में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही साथ मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं को खरीफ सिंचाई 2025 हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व पूर्ण किया जाना है।


 (सुनील कुमार)
 अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:-मो0 2-सिवान-45/2024- 367

पटना/दिनांक:- 17/3/25

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन परिक्षेत्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:-मो0 2-सिवान-45/2024- 367

पटना/दिनांक:- 17/3/25

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02/03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:-मो0 2-सिवान-45/2024- 367

पटना/दिनांक:- 17/3/25

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

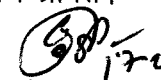

(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:-मो0 2-सिवान-45/2024- 367

पटना/दिनांक:- 17/3/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:-मो0 2-सिवान-45/2024- 367

/पटना, दिनांक:- 17/3/25

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)